न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

परिवाद संख्या 69 सन 2025

मुकेश कुमार बनाम सुनील कुमार राघव

01.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज वास्ते आदेश नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर दिनांक–26.05.2026 को सुना जा चुका है।

मैंने पत्रावली का विधिवत् परिशीलन किया।

परिवादी का परिवाद पत्र में संक्षिप्त कथन है कि परिवादी ग्राम देवराला, थाना शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर का जाति से खटीक है और कक्षा 05 तक पढ़ा है। उसका सुनील कुमार राघव के यहॉ आना जाना था। वर्ष 2019 में उसको दौरा पड़ने के मौके पर उसकी चैकबुक से पहला चैक नं0–037521 चोरी हो गया था। उक्त चैक खाली था एवं उस पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं थे। सुनील कुमार राघव ने अपने अधिवक्ता अवधेश कुमार एडवोकेट द्वारा नोटिस दिनांक–24.07.2023 उक्त चैक बाउंस होने के सम्बन्ध में प्रेषित किया, जो परिवादी को दिनांक–01.08.2023 को प्राप्त हुआ, जिससे उसे ज्ञात हुआ कि उसका चैक सुनील कुमार राघव ने सन् 2019 में चोरी कर लिया था। उसके जाली हस्ताक्षर बनाकर मु0–3,80,000/–रूपये लिखकर उक्त चैक का दुरूपयोग किया। उक्त चैक पर कूटरचना कर मु0–3,80,000/–रूपये हड़पने का षडयन्त्र बनाया है। उसकी कभी भी सुनील कुमार राघव से घेर खरीदने की बात नहीं हुई और न ही उसने कोई एडवांस धन सुनील कुमार राघव से लिया है। उसने दिनांक–02.08.2023 को दोपहर सुनील कुमार राघव से उक्त चैक के सम्बन्ध में बात की तो उसने गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए जाति सूचक शब्दों खटीकड़ा से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसने सुनील कुमार राघव से, जो कर्ज लिया था, वह दो वर्ष पूर्व ही चुकता कर दिया था। उक्त सुनील कुमार राघव ने षड़यन्त्र के तहत चोरी किये गये चैक पर उसके जाली हस्ताक्षर कर रकम की कूटचरना कर मु0–3,80,000/–रूपये हड़पने हेतु चैक का दुरूपयोग करने का अपराध किया है। नोटिस दिनांक–24.07.2023 का जवाब दिनांक–03.08.2023 को दिया जा चुका है। सुनील कुमार द्वारा फर्जी मुकदमा दायर करने की धमकी दी। दिनांक–08.08.2025 को समय करीब 03:00 पी.एम. पर सुनील कुमार राघव ने उसके घर आकर जाति सूचक शब्दों खटीकड़ा आदि से अपमानित करते हुए लात घूंसों से मारा पीटा और धमकी दी कि साले न तो तेरा चैक वापस करूॅगा और तुझसे मु0–3,80,000/–रूपये लेकर रहूॅगा, तू जो चाहे कर ले, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शोर पर परिवार व पड़ोसी के आने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिनांक–22.08.2023 को बजरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना–पत्र भेजा, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अत : प्रार्थना की गयी है कि विपक्षी को तलब कर दण्डित किया जाये।

परिवाद पत्र के समर्थन में अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. स्वयं मुकेश कुमार व अन्तर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. पी.डब्लू.–01 सत्यवती व पी.डब्लू.–02 जितेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति जाति प्रमाण–पत्र दाखिल किया गया है।

बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. में परिवादी मुकेश कुमार द्वारा कथन किया है कि वह खटीक जाति का है, विपक्षी ठाकुर जाति का है। उसका 2019 में दिल का दौरा पड़ा था। इसी का फायदा उठाकर विपक्षी सुनील कुमार राघव ने हमारी चैक बुक से एक चैक निकालकर उसमें 3,80,000/–रूपये भरकर उस पर उसका फर्जी हस्ताक्षर बना लिया। बाद में अपने अधिवक्ता के माध्यम से हमें नोटिस भिजवाया, तब हमें जानकारी हुई। दिनांक–08.08.2025 को विपक्षी उसके घर आया था। उससे उसने

Digitally signed by OMPRAKASH VERMA
Date: 2026.06.01 15:57:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपना चैक मांग तो खटीकड़ा आदि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर हमें गन्दी–गन्दी गालियॉ दी तथा हमे थप्पड़ से मारा और कहा कि आगे कोई कार्यवाही की तो फिर मारेंगे। विपक्षी राजनीतिक व्यक्तियों के साथ रहता है।

बयान अन्तर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. में पी.डब्लू.–01 सत्यवती द्वारा कथन किया गया है कि घटना दिनांक–08.08.2025 समय करीब दोपहर 03:00 बजे की है। जब वह कमरे में लेटी हुई थी तभी अचानक उसके पति मुकेश के शोर चमाने की आवाज आयी, तब उसने उठकर देखा तो सुनील उसके पति मुकेश के साथ मारपीट कर रहा था और गन्दी–गन्दी गालियॉ दे रहा था और उसके पति को जाति सूचक शब्द खटीकड़ा, खटीक के तुम्हे वह चैक वापस नहीं दूॅगा, कह रहा था और उसके पति मुकेश को जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसने पूर्व में भी दिनांक–02.08.2025 को उसके पति को गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी दे चुका है। सुनील ने उसके पति मुकेश की चैक बुक से चैक चुरा लिया था, जिसके बाद से ही सुनील उसके पति को परेशान कर रहा है।

बयान अन्तर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. में पी.डब्लू.–02 जितेन्द्र कुमार द्वारा कथन किया गया है कि घटना दिनांक–08.08.2025 को दोपहर करीब 03:00 बजे की है, जब वह कमरे में पढ़ रहा था, तो उसके अपने पिता मुकेश की शोर मचाने की आवाज आयी, पति मुकेश का शोर सुनकर उसने बरामदे में आकर देखा सुनील उसके पिताजी से गन्दी–गन्दी गालियॉ देकर मारपीट कर रहा था और चैक वापस नहीं दूॅगा, सुनील कह रहा था और उसके पिता को जाति सूचक शब्द खटीकड़ा, खटीक के तुझे वह चैक वापस नहीं देगा, कहकर उसके पिता मुकेश को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर रहा था। पहले भी दिनांक–02.08.2023 को सुनील उसके पिता के साथ गन्दी–गन्दी गालियॉ देकर जाति सूचक शब्द खटीकड़ा कहकर अपमानित कर चुका है। सुनील ने उसके पिता मुकेश को जान से मारने की धमकी दी है। सुनील हमारे गॉव का ही रहने वाला है। उसने उसके पिता की चैक बुक से चैक चुरा लिया था, जिसके कारण सुनील उसके पिताजी को धमकाता रहता है और धन हड़पना चाहता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Pepsi foods Ltd. and Another vs. Special Judicial magistrate and others. (1998) 5 SCC 749** के वाद में यह अवधारित किया गया है कि–Criminal procedure code 1973-S.204-Summoing of accues-Order must show that Magistrate applied his mind to the fact of case and law applicable thereto-He should carefully scrutinise the evidence broght on record and may himself Put questions to complinant and his witnesses to find out allegations.

परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परिवादी के कथनानुसार विपक्षी द्वारा उसके कथित चोरी किये गये चैक के आधार पर विपक्षी ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–24.07.2023 को विधिक नोटिस प्रेषित किया गया था, जो परिवादी को प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसने उक्त नोटिस का जवाब दिनांक–03.08.2023 को दिया था, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी को उसके विरूद्ध चैक सम्बन्धी कार्यवाही की जानकारी वर्ष 2023 में हो गयी थी एवं परिवादी को अपने विरूद्ध चैक सम्बन्धी विधिक कार्यवाही की पूर्व से जानकारी थी। विपक्षी की ओर से द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रेषित नोटिस की कोई प्रति परिवादी द्वारा पत्रावली पर संलग्न नहीं की है। इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन में परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–01 सत्यवती व पी.डब्लू.–02 जितेन्द्र कुमार परिवादी की पत्नी व पुत्र है। कथित जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने एवं मारपीट की घटना का कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है, जबकि घटना आबादी वाले क्षेत्र में घटित होना बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि परिवादी द्वारा स्वयं को चैक की कार्यवाही से बचने तथा विपक्षी पर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार परिवाद पत्र के समर्थन में परीक्षित साक्षियों के बयान से विपक्षी को

किसी अपराध में विचारण हेतु आहूत किये जाने का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। अतः परिवाद अन्तर्गत धारा–226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद संख्या–69 सन् 2025 मुकेश कुमार बनाम सुनील कुमार राघव अन्तर्गत धारा–226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनाक 01.06.2026

(ओम प्रकाश वर्मा–III)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट बुलन्दशहर।
आई.डी. यू पी 06142